उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

10/9/25 आज यह पत्रावली हमारे समक्ष पेश
आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता
है। पत्रावली फैसल होकर वास्ते
रिकॉर्ड दाखिल दफ्तर
हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

1. [illegible]

—: निर्णय :—

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। आराजी खसरा नम्बर हाल 725/1358 रकबा 01 एयर व 809 रकबा 26 एयर, 814 रकबा 26 एयर वाके ग्राम ढिस व खसरा नम्बर हाल 2041 रकबा 61 एयर, 2043 रकबा 59 एयर व 105 रकबा 11 एयर, 106 रकबा 10 एयर, 108 रकबा 10 एयर, 109 रकबा 110 रकबा 16 एयर, 114 रकबा 26 एयर 115 रकबा 22 एयर, 20 रकबा 07 एयर, 22 रकबा 17 एयर, 242 रकबा 06 एयर, 255 रकबा 17 एयर, 282 रकबा 08 एयर, 283 रकबा 11 एयर, 294 रकबा 67 एयर, 359/602 रकबा 10 एयर 47 रकबा 03 एयर, 481 रकबा 39 एयर, 582 रकबा 24 एयर, 583 रकबा 20 एयर, 81 रकबा 18 एयर व 45 रकबा 22 एयर, 46 रकबा 24 एयर, 48 रकबा 41 एयर, 49 रकबा 29 एयर वाके ग्राम जलालपुर तह. बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड, में स्थित है। जिसमें लक्ष्मीनारायण उर्फ लिछमन उर्फ लच्छा उर्फ लिखाराम उर्फ लिछमा पुत्र सुरजा उर्फ सुरजभान के नाम दर्ज है। आराजी मुतनाता में अंकित लक्ष्मीनारायण पुत्र सूरजा लिछमन पुत्र सुरजा लच्छा पुत्र सूरजा लिछाराम पुत्र सूरजा, लिछमा पुत्र सूरजा जाति गुर्जर निवासी जलालपुर प्रार्थी का पति/पिता एक ही व्यक्ति है। जिसका वास्तविक एवं रिकार्डेड नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र सूरजा उर्फ सुरजभान है। जो आराजी मुतनाजा में उक्त नामो को मुताबिक दस्तावेज के दुरूस्त किये जाकर उनके स्थान पर लक्ष्मीनारायण पुत्र सुरजा उर्फ सुरजभान अंकित करने के आदेश प्रदारान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को द्वारा नोटिस तलब किया गया। पेरोकार नायब तहसीलदार बहरोड ने जवाब पेश किया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे।

प्रार्थी के वकील की बहस सुनी मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। सरपंच ग्राम पंचायत गुजरवास श्रीमती नरेश कुमारी ने अपने प्रमाण पत्र दिनांक 06. 09.2024 में प्रमाणित किया है कि लक्ष्मीनारायण पुत्र सुरजा जाति गुर्जर ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

जलालपुर का रहने वाला था उनकी मृत्यु दिनांक 05.06.2024 को हो गई है। इनके राजस्व रिकोर्ड में इसका नाम गलती से लिछमा व लिछमा राम गलती से हो गया है। जबकि लक्ष्मीनारायण उर्फ लिछमा उर्फ लिछमाराम ,लिछमन एक ही व्यक्ति के नाम है। इस नाम का गाफव में और कोई व्यक्ति नही है। ग्राम पंचायत के राजस्व रिकार्ड में लिछमा व लिछमाराम की जगह लक्ष्मीनारायण किये जाने कि सिफारीस करती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम बर्डोद की जमाबन्दी खाता संख्या 1640 ,1641,ग्राम ढिस की जमाबन्दी खाता संख्या 62,153, में लक्ष्मीनारायण पुत्र सुरजा अंकित है।इन्तकाल नम्बर 150 ग्राम बर्डोद में सूरजा वल्द प्रभाती कि विरासत के नामान्तकरण में लक्ष्मीनारयण पुत्र सुरजा अंकित किया है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः आदेश है कि ग्राम ढिस तहसील बहरोड के खाता संख्या 71 के खसरा नम्बर 809,814 में दर्ज लच्छा पुत्र सूरजा व खाता नम्बर 153 खसरा नम्बर 725/1358 में दर्ज लिछमन पुत्र सुरजा व ग्राम जलालपुर के खाता नम्बर 46 में खसरा नम्बर 105, 106, 108, 109, 110 ,114, 115, 20, 22, 242, 255, 283, 294, 359/602, 47, 481, 582, 583, 81 में दर्ज लिछाराम पुत्र सुरजा व खाता खसरा नम्बर 66, के खसरा नम्बर 45, 46, 48, 49, में लिछमा पुत्र सुरजा को कलमजन कर लक्ष्मीनारायण पुत्र सूरजा अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी कदर राजस्व भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम बनाम तहसीलदार बहरोड को वास्ते संशोधन जारी किया जावे।

आज दिनाक 10/9/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना–II
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)